न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 2023/1171 प्रार्थना पत्र दिनांक– 12.11.2025

अनवान

1. केशीबाई पत्नि गोपा जी डांगी आयु वयस्क निवासी झीपों का रहट, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. रता पिता गोपा जी डांगी आयु वयस्क निवासी झीपों का रहट, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
3. नारू पिता गोपा जी डांगी आयु वयस्क निवासी झीपों का रहट, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखलाल पिता खेमा जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी झीपों का रहट, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. जेता पिता रूपा जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी झीपों का रहट, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
3. शांताबाई पत्नि मेघा जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी झीपों का रहट, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय देलवाडा, जिला राजसमंद।

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री संजय माण्डोत, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
प्रतिवादीगण बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक–तरफा।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12.11.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने ठोस दस्तावेज एवं महत्वपूर्ण आधारों पर विपक्षीगण के विरूद्व एक वाद माननीय आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण अवश्य सफल होंगें। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 02 व 03 के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम झीपों का रहट, पटवार हल्का नेगडिया, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में स्थित होकर जिसके खाता संख्या नया 17 पुराना 7 आराजी संख्या 108 रकबा 0.2529 हैक्टेयर स्थित होकर राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के नाम बतौर खातेदार अंकित होकर उक्त भूमि में वादीगण का 1/6–1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 का 1/4–1/4 हक व हिस्सा निहित होकर संयुक्त रूप से उपरोक्त भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण उपरोक्त कृषि भूमियों में संयुक्त रूप से काबिज होकर उपरोक्त कृषि भूमियों का उपयोग–उपभोग निरन्तर एवं निर्बाध रूप से करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण दिनांक 05.10.2022 को अपनी उपरोक्त कृषि भूमि में कृषि काश्त के तहत फसल की देखभाल कर रहे थे एवं पाली डोली सही कर रहे थे इतने में विपक्षी संख्या 01 से 03 वहा आये तथा कहने लगे की तु बेकार में क्यों इतनी मेहनत कर रहा है तो प्रार्थीगण ने कहा कि यह हमारी मौरूसी संपत्ति है तथा उक्त भूमि पर हम बडी मेहनत के साथ कृषि काश्त कर रहे है। तो प्रतिवादी संख्या 01 से 03 कहने लगे की इस खेत पर तो हम कब्जा करके रहेगें। प्रार्थीगण उक्त भूमियों के खातेदार होकर हक व हिस्सेनुसार भूमियों का विभाजन करवाने के वैध अधिकारी है एवं बिना विभाजन कराये विपक्षी संख्या 01 के उक्त भूमियों

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

में प्रवेश करने एवं प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में अवरोध उत्पन्न करने से रूकवाने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण के पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने पर विपक्षी संख्या 01 बिना विभाजन कराये भूमियों में अवैध रूप से प्रवेश कर प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा अवरोध उत्पन्न करेगा। जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अशोधनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति अर्थ में संभव नहीं होगी।

अतः प्रार्थना है कि:–

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्व मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावें कि विपक्षीगण उपरोक्त भूमि जो राजस्व ग्राम झीपों का रहट, पटवार हल्का नेगडिया में स्थित है जिसका विस्तृत विवरण वादपत्र की कलम संख्या 01 में किया गया है का मौके पर हक व हिस्सेनुसार (मिट्स एण्ड बाउण्ड्स) विधिवत् विभाजन करवाया जावे एवं विपक्षी संख्या 01 उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात् में बिना विधिवत् विभाजन करवाये प्रवेश न करें एवं प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा अवरोध उत्पन्न न करें। एवं ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिससे वादीगण की उपरोक्त भूमियों की किस्म, प्रकृति, परिसीमा, उपयोग–उपभोग में परिवर्तन हो, न ऐसा स्वंय करें न ऐसा अपने नौकर, मित्र, एजेंट, रिश्तेदार आदि से करावें। दौराने वाद प्रतिवादीगण ऐसा कर दे तो आदेशात्मक आज्ञा द्वारा स्थिति पुनः यथावत् कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बाद् तामिल प्राप्त। बावजूद सुचना अनुपस्थित। बार–बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण में इनके विरूद्व कार्यवाही एक–तरफा की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों मय जवाब का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त आराजीयात् प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 एवं 03 की संयुक्त खातेदारी, आधिपत्य की होकर दोनों के हक–अधिकार निहित है। विपक्षी संख्या 01 बिना किसी हक अधिकार के वादग्रस्त आराजीयात् में प्रवेश कर दखलअंदाजी कर रहा है। ऐसी स्थिति में वाद की बाहुल्यता न हो, इसलिए उभयपक्ष को वादग्रस्त आराजीयात् के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:–

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम झीपों का रहट, पटवार हल्का नेगडिया, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में स्थित होकर जिसके खाता संख्या नया 17 पुराना 7 आराजी संख्या 108 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। इस हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो/नबंर से कम होकर/मूल वाद के साथ संलग्न होकर/दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रक्षा पारिक, **RAS**)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

नाथद्वारा

सहायक कलक्टर

नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द